

अष्टम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अदालत,

भागलपुर

थाना कांड संख्या- 270/09

आरोपित धाराएँ- 44-302/120B/34

सत्रवाद संख्या- 856/17

अनुसंधान पदाधिकारी का नाम- मनोरंजन भार्गवी, का नि, तनारपुर थाना

सेवा में,

थानाध्यक्ष तनारपुर

..... भागलपुर

महाशय,

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त थाना कांड के अनुसंधान पदाधिकारी को निर्देशित करे कि दिनांक 04.02.20 को इस थाना कांड संख्या के सभी साक्षियों का साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करे।

यदि अनुसंधान पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो आप स्वयं साक्षी को निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करे।

यदि साक्षी को निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसे कर्तव्यहीनता एवं न्यायालय के न्यायिक आदेश की अवहेलना मानी जाएगी।

आज्ञा का काम :-

विश्वासभाजन

(एम.पी. सिंह,)

अष्टम अपर जिला

एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर।

दिनांक- 03-01-20

① मोठ बुद्धिमाना जालम फौ
एक आफताव डुपेन
साब- काझानपुर, थाना-
तनारपुर, भागलपुर

② मनोरंजन भार्गवी, थाना प्रकाश, तनारपुर, भागलपुर
एवं अन्य।

In the Court of M.P. Singh, 8th Additional District & Sessions Judge, Bhagalpur
Order-sheet

S.T. NO.:- 856/17

20.8.19

माद क सी के अतिरिक्त
नी के प्रो विरुद्ध आरोपित
आपराध, गणतंत्र के

दिनांक 1.10.19 को अदालत
अतिरिक्त आपराध प्रमाण के, अदालत

प्रमाण

1.10.19

प.स. अदालत में, दिनांक 21.11.19 को अदालत

अतिरिक्त आपराध प्रमाण के, अदालत

प्रमाण

21-11-19

सी के अतिरिक्त सी.ओ. के अदालत
आपराध के अतिरिक्त अतिरिक्त अदालत के अतिरिक्त
अतिरिक्त अदालत

सी के अतिरिक्त अतिरिक्त
दिनांक 03-04-20 को अदालत
अतिरिक्त अदालत के अतिरिक्त

प्रमाण
A.D.J.M

03.1.20

No one appeared on behalf
prosecution.

O.C. to issue summons
against witness.

put up on 04.02.20 for evidence

+